



**Drishti IAS**



**करेंट अफेयर्स**

**बिहार**

**जुलाई**

**2024**

**(संग्रह)**

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: [help@groupdrishti.in](mailto:help@groupdrishti.in)

# अनुक्रम

## बिहार

|   |    |
|---|----|
| ➤ आम की बागवानी के लिये योजना   | 3  |
| ➤ बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील                                       | 3  |
| ➤ बिहार के पुलों का संरचनात्मक परीक्षण  | 4  |
| ➤ बिहार में बाढ़ में फँसे श्रमिक  | 4  |
| ➤ बिहार में गंडकी नदी पर पुल ढहा  | 6  |
| ➤ बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब-इंस्पेक्टर   | 7  |
| ➤ बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर   | 8  |
| ➤ बिहार में बाढ़  | 9  |
| ➤ काबरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण  | 10 |
| ➤ मखाना के लिये MSP   | 10 |
| ➤ बिहार को 'विशेष राज्य' का दर्जा देने से इनकार                                       | 11 |
| ➤ बजट 2024: बिहार के राजमार्गों के लिये 26 हजार करोड़ रुपए                            | 12 |
| ➤ बिहार बाढ़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया   | 13 |
| ➤ बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिये विधेयक पारित हुआ                           | 14 |
| ➤ सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार | 14 |
| ➤ पुल ढहने की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस                                    | 15 |

## बिहार

### आम की बागवानी के लिये योजना

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिये विशेष रूप से डिजाइन की गई एक योजना शुरू की है, ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके।

- बिहार में 15.84 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है और आम के उत्पादन में यह देश में तीसरे स्थान पर है।

#### मुख्य बिंदु:

- आम के क्षेत्र विस्तार के लिये 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना शुरू की गई है।
- ◆ राज्य एक सूक्ष्म सिंचाई योजना को सुविधाजनक बना रहा है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप, मिनी तथा माइक्रो सिप्रंकलर पर 80% सहायता ( अन्य किसानों के लिये 70% ) एवं सामुदायिक बोरवेल पर 80% सहायता दी जा रही है।
- बिहार में कई विशिष्ट स्वाद वाले आम उगाए जाते हैं, जिनमें दूधिया मालदा, जर्दालु और आम्रपाली शामिल हैं।
- ◆ उचित विपणन और ब्रांडिंग से बाजार में राज्य के फलों की धारणा तथा मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( APEDA ) के समर्थन से, बिहार ब्रिटेन, मध्य पूर्व और न्यूजीलैंड को लगभग 1200 मीट्रिक टन से अधिक ताजे आम का निर्यात करता है।

#### जर्दालु आम

- जर्दालू भागलपुर की एक अनोखी आम की किस्म है।
- यह अपने हल्के पीले रंग और विशिष्ट सुगंध के लिये जाना जाता है।
- इसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेत ( GI ) टैग दिया गया था।

### कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA )

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्ष 2020 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( APEDA ) ने कृषि गतिविधियों में बेहतर तालमेल लाने के लिये लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ ( SFAC ) के साथ एक समझौता ज्ञापन ( MoU ) पर हस्ताक्षर किये हैं।

### बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में नए आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

**मुख्य बिंदु:**

- बिहार सरकार ने राज्य में **जातिगत सर्वेक्षण** कराने के बाद आरक्षण कोटा बढ़ा दिया था।
- पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में **पिछड़ा वर्ग ( BC ), अति पिछड़ा वर्ग ( EBC ), अनुसूचित जाति ( SC )** तथा **अनुसूचित जनजाति ( ST )** के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

**आरक्षण**

- **आरक्षण सकारात्मक भेदभाव** का एक रूप है, जो हाशिये पर पड़े वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिये बनाया गया है।
- यह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को रोजगार और शिक्षा तक पहुँच में प्राथमिकता देता है।
- इसे मूलतः वर्षों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने तथा वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।

**बिहार के पुलों का संरचनात्मक परीक्षण****चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में एक वकील ने **सर्वोच्च न्यायालय** में एक याचिका दायर कर वर्ष 2022 से बिहार में 10 से अधिक पुलों के ढहने की घटनाओं पर प्रकाश डाला है, साथ ही राज्य में हाल ही में पूर्ण हुए निर्माणाधीन और पुराने पुलों का **संरचनात्मक परीक्षण** कराने की मांग की है।

**मुख्य बिंदु:**

- याचिका में न्यायालय से राज्य में **असुरक्षित पुलों की पहचान** करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया गया है।
- जो पुल ढहे हैं, वे सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में हैं। यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि बिहार **बाढ़-ग्रस्त राज्य** है।

**बिहार में बाढ़ में फँसे श्रमिक****चर्चा में क्यों**

सूत्रों के अनुसार, **अधिक वर्षा** के कारण बिहार के बगहा में करीब 150 श्रमिक **बाढ़** में फँस गए हैं।

**मुख्य बिंदु**

- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ( State Disaster Response Force- SDRF )** ने फँसे हुए 150 श्रमिकों में से लगभग 40 को बचा लिया है, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं।
- जल संसाधन विभाग के अनुसार **कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान और कमला** समेत प्रमुख नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर हैं।

## कोसी नदी



- कोसी एक अंतर-सीमा नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है।
- इसका उद्गम तिब्बत में है जिसमें विश्व की सबसे ऊँची पहाड़ी शामिल है, तत्पश्चात् यह गंगा के मैदानों में प्रकट होने से पूर्व नेपाल के एक व्यापक हिस्से से अपवाहित होती है।
- इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियाँ, सुन कोसी, अरुण और तमूर, हिमालय की तलहटी में निर्मित 10 किमी. लंबी घाटी के ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं।
- यह नदी उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है, जहाँ यह कटिहार ज़िले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले विभिन्न शाखाओं में बँट जाती है।
- भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी नदी सबसे अधिक मात्रा में गाद और रेत अपवाहित करती है।
- इसे "बिहार का शोक" भी कहा जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है।

## महानंदा नदी

- महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है।
- इसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालय से होता है।
- यह नदी बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर आगे बढ़कर बांग्लादेश में गोदागरी में गंगा में मिल जाती है।

नोट :

## बिहार में गंडकी नदी पर पुल ढहा


### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के सारण ज़िले में गंडकी नदी पर बना 15 वर्ष पुराना पुल ढहा गया, जो 24 घंटे के भीतर ज़िले में पुल ढहने की तीसरी घटना थी।

### मुख्य बिंदु

- सूत्रों के अनुसार, पिछले 17 दिनों में बिहार में कम-से-कम 12 पुल ढहा गए हैं। हालाँकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

### गंडक नदी



नोट :

- परिचय:

- ◆ गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर प्रवाहित होती है।
- ◆ बिहार में **वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व** इसी नदी के तट पर स्थित है।

- स्रोत:

- ◆ गंडक नदी का उद्गम तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में नेपाली सीमा के पास है, जो कि समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह नदी हिमालय से निकलती है और 630 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जिसमें से 445 किलोमीटर भारत में तथा 185 किलोमीटर नेपाल में है।

- अपवाह बेसिन:

- ◆ गंडक नदी का कुल जल निकासी बेसिन क्षेत्र 29,705 वर्ग किलोमीटर है।
- ◆ यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है तथा हाजीपुर से नीचे पटना के पास गंगा में मिल जाती है।

- सहायक नदियाँ:

- ◆ गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मयांगदी, बारी, त्रिसूली, पंचनद, सरहद, बूढ़ी गंडक शामिल हैं।

## बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब-इंस्पेक्टर

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तीन **ट्रांसजेंडरों** ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनने के लिये बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की परीक्षा उत्तीर्ण की।

### मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2021 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, राज्य सरकार ने BPSSC को पुलिस सेवाओं में थर्ड जेंडर (Third Gender) की नियुक्ति करने को कहा था।
- बिहार में किये गए वर्ष 2022 जाति सर्वेक्षण के अनुसार, ट्रांसजेंडर जनसंख्या 825 (0.0006%) बताई गई है।
- ◆ यह आँकड़ा वर्ष 2011 की जनगणना से बिल्कुल विपरीत है, जिसमें राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर दर्ज किये गए थे।

### ट्रांसजेंडर

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी पहचान जन्मजात लिंग से न होकर दूसरे लिंग के रूप में हो या जिसने लिंग-परिवर्तन किया हो।
- इसमें अंतर-लिंगीय भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, लिंग-विषमलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी तथा जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।
- भारत की वर्ष 2011 की जनगणना देश की 'ट्रांस' जनसंख्या की संख्या को शामिल करने वाली पहली जनगणना थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं।

### जनगणना

- जनगणना की शुरुआत:
- भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 की औपनिवेशिक प्रक्रिया से हुई।
- जनगणना की शुरुआत हुई और इसका उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या का पता लगाने, संसाधनों तक पहुँचने, सामाजिक परिवर्तन का मानचित्रण करने, परिसीमन कार्य आदि के लिये किया जाता है।

नोट :

- SECC ( सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना ) के रूप में पहली जाति जनगणना:
  - ◆ SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था।
  - ◆ SECC का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक परिवार से संपर्क करना तथा उनसे निम्नलिखित के बारे में पूछना है:
    - आर्थिक स्थिति, ताकि केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों को वंचना के विभिन्न संकेतकों, क्रमपरिवर्तनों तथा संयोजनों के साथ आने की अनुमति मिल सके, जिनका उपयोग प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये किया जा सके।
    - इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति से उसकी विशिष्ट जाति का नाम पूछना भी है, ताकि सरकार यह पुनर्मूल्यांकन कर सके कि कौन-से जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में हैं और कौन-से बेहतर स्थिति में हैं।

## बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में "विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर" के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले तीन मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में पूरा होने की आशा है।

### मुख्य बिंदु:

- विराट रामायण मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से तीन गुना बड़ा होगा।
  - ◆ 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में 33 फुट ऊँचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा।
  - ◆ मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं के लिये 22 गर्भगृह होंगे।
- दूसरे चरण में प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य शामिल होगा, जो ज़मीनी स्तर से लगभग 26 फीट की ऊँचाई तक जाएगा।
- तीसरे चरण में शिखरों का निर्माण तथा संपूर्ण मंदिर का अंतिम परिष्करण कार्य पूर्ण किया जाएगा।
  - ◆ मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें मुख्य शिखर 270 फीट ऊँचा होगा।
- मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंकोर वाट, तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर और मद्रुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है।

### अंकोर वाट मंदिर

- अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित एक मंदिर परिसर है तथा यह विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है।
- इसकी स्थापना मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिये भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे 12वीं शताब्दी के अंत तक इसे एक बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया था।
- 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा खमेर साम्राज्य की राजधानी यशोधरपुर ( वर्तमान में अंकोर ), में इसका निर्माण उनके राज्य मंदिर और संभावित मकबरे के रूप में करवाया गया था।

### मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर

- यह तमिलनाडु के मद्रुरै में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है।
- यह मंदिर देवी मीनाक्षी, जो शक्ति/पार्वती का एक रूप है तथा उनके पति शिव, जो सुंदरेश्वर के रूप में हैं, को समर्पित है।
- इसका निर्माण पांड्य सम्राट सदायवर्मन कुलशेखरन प्रथम ( 1190 ई.-1205 ई. ) ने करवाया था।

### रामनाथस्वामी मंदिर

- यह तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है।
- यह बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है।
- इसका निर्माण राजा मुथुरामलिंगा सेतुपति ने करवाया था।



- मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्या राजवंश द्वारा किया गया था और इसके मुख्य मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार जयवीर सिंकेरियान तथा उनके उत्तराधिकारी गुणवीर सिंकेरियान, जो जाफना साम्राज्य के सम्राट थे, द्वारा किया गया था।

## बिहार में बाढ़

### चर्चा में क्यों ?

बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िले में बागमती नदी के जलस्तर में तेज़ी से वृद्धि के कारण 18 पंचायतों के हज़ारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है।

### मुख्य बिंदु:

- बाढ़ के कारण विभिन्न पंचायतों के लाखों लोगों का सहायता के लिये अपने ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है।
- क्षेत्र के कई स्कूल भी बाढ़ के पानी से भर गए हैं, जिससे सैकड़ों बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है।
- बागमती नदी नेपाल और भारत के बीच एक सीमा पार नदी है।
- ◆ इसकी यात्रा नेपाल के काठमांडू से शुरू होती है और भारत के बिहार में बोर्नस्थान के पास कोशी नदी में समाप्त होती है।
- बागमती नदी की कुल लंबाई 3 किमी. है।
- हिंदू लोग बागमती नदी को पवित्र मानते हैं और उनके लिये इसका आध्यात्मिक महत्त्व है।
- नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर शिव को समर्पित एक अन्य प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है।
- विष्णुमती नदी, धोबिखोला नदी और मनोहरा नदी बागमती नदी की सहायक नदियाँ हैं।



## काबरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( National Green Tribunal- NGT )** की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिले में **काबरताल आर्द्रभूमि** पर आरोपों की जाँच के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।

### मुख्य बिंदु:

- **रामसर स्थल** पर अतिक्रमण और क्षरण के आरोप एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए थे, जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में अपील की था।
- काबरताल आर्द्रभूमि स्थल को वर्ष 1989 में बिहार सरकार द्वारा **पक्षी अभयारण्य** के रूप में नामित किया गया था।
- ◆ इसे वर्ष 2020 में **रामसर स्थल** के रूप में नामित किया गया था और इसे एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह आर्द्रभूमि, 16-17 जलाशयों का समूह है तथा वर्षा जल के संग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, पर समय के साथ इसपर अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण यह आरोप लगाया गया है कि इस क्षेत्र को संकुचित होने दिया गया है।
- ◆ वर्ष 2019 के मानसून पश्चात की रिपोर्ट के अनुसार, इस स्थल का लगभग 82% भाग दलदली भूमि था ( जिसमें से 25% भाग पर कृषि की जाती थी ), 16% भाग सु-अपवाहित जल था तथा शेष भाग में वृक्षारोपण या पट्टे ली गई भूमि थी।
- पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि अतिक्रमण और झील के सूखने से पक्षियों पर गंभीर असर पड़ा है, क्योंकि इससे उनके आवास नष्ट हो गए हैं।

### गोखुर झील

- गोखुर झील एक घुमावदार झील है जो समय के साथ कटाव और तलछट के जमाव के परिणामस्वरूप नदी के विसर्पण द्वारा बनी है।
- गोखुर झील प्रायः बाढ़ के मैदानों और नदियों के पास निचले इलाकों में पाई जाती हैं। इनका आकार अर्द्धचंद्राकार होता है।

### रामसर स्थल

- आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में **कैस्पियन सागर** के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था।
- यह भारत के लिये 1 फरवरी, 1982 को लागू हुआ। वे आर्द्रभूमियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की हैं, उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है।
- सम्मेलन का मिशन “स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण तथा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, जो पूरे विश्व में सतत् विकास प्राप्त करने में योगदान देगा”।
- **मॉट्रेक्स रिकॉर्ड**, अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल उन आर्द्रभूमि स्थलों का पंजीकरण है, जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, या होने की संभावना है।

## मखाना के लिये MSP

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र से **मखाना के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP )** घोषित करने का आग्रह किया है। मखाना राज्य के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक जलीय फसल है।

### मुख्य बिंदु

- राज्य ने मखाना के लिये दरभंगा स्थित **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ( ICAR-NRC )** में कर्मचारियों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है।

- बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादित करता है तथा लगभग 10 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खेती और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हैं।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार, दरभंगा में मखाना के लिये ICAR-NRC को भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा मखाना फसल के संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिये 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि ( वर्ष 1997-2002 ) के दौरान एक नई योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था।
- ◆ मखाना के लिये NRC का कार्य फरवरी 2002 में शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 2005 में इसे पटना स्थित ICAR-पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर ( RCER ) के साथ विलय कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसका “राष्ट्रीय” दर्जा समाप्त कर दिया गया।
- ◆ मई 2023 में केंद्र सरकार ने मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा को “राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा” में अपग्रेड किया और मछली जैसी अन्य जलीय फसलों को शामिल करने के लिये इसके अधिदेश का विस्तार किया।
- ◆ मखाना के लिये NRC को ICAR के कृषि इंजीनियरिंग प्रभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और लुधियाना स्थित ICAR-केंद्रीय कटाई उपरांत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से संबद्ध कर दिया गया।

### मिथिला मखाना

- पान, माखन और मच्छ ( मछली ) मिथिला की तीन प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान हैं।
- मिथिला मखाना या माखन ( वानस्पतिक नाम: यूरीले फेरोक्स सालिसब- *Euryale ferox Salisb* ) बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है।
- मखाना मिथिला की तीन प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है
- यह नवविवाहित जोड़ों के लिये मनाए जाने वाले मैथिल ब्राह्मणों के कोजागरा उत्सव में भी बहुत प्रसिद्ध है।
- मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ-साथ प्रोटीन व फाइबर होता है।
- इसे वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेत ( GI ) टैग प्राप्त हुआ।

## बिहार को ‘विशेष राज्य’ का दर्जा देने से इनकार

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के लिये ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

### प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान में किसी भी नए राज्य को ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है।
- ◆ बिहार विशेष राज्य का दर्जा और अलग वित्तीय पैकेज दोनों की मांग कर रहा है। बिहार के लिये विशेष दर्जे की मांग तब से जारी है जब राज्य का विभाजन बिहार तथा झारखंड में हुआ था।
- गाडगिल फार्मूला:
  - ◆ विशेष श्रेणी के दर्जे के मुद्दे पर पहली बार वर्ष 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद ( National Development Council- NDC ) की बैठक में चर्चा की गई थी। इस सत्र के दौरान, D.R. गाडगिल समिति ने भारत में राज्य योजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता वितरित करने का एक सूत्र प्रस्तावित किया था
    - इससे पहले, निधि आवंटन के लिये कोई विशिष्ट फार्मूला नहीं था और अनुदान व्यक्तिगत योजनाओं के आधार पर आवंटित किया जाता था।
  - ◆ गाडगिल फार्मूले, जिसे NDC की मंजूरी मिली थी, ने केंद्रीय सहायता के आवंटन में असम, जम्मू-कश्मीर और नगालैंड जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी।

- ◆ वर्ष 1969 में **पाँचवें वित्त आयोग** ने कुछ क्षेत्रों के समक्ष मौजूद ऐतिहासिक चुनौतियों को स्वीकार किया और **विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया**
  - इस **सुझाव से विशिष्ट वंचित राज्यों** को केंद्रीय सहायता और कर राहत सहित विशेष लाभ प्राप्त हुए
  - इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस स्थिति के आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता आवंटित की।
- ◆ **वित्तीय वर्ष 2014-2015 तक विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त 11 राज्यों** को विभिन्न लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त थे।
  - हालाँकि वर्ष 2015 में **योजना आयोग के विघटन** और **नीति आयोग की स्थापना** के साथ **14वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के परिणामस्वरूप गाडगिल फार्मूले पर आधारित अनुदान बंद हो गए।
  - परिणामस्वरूप, सभी राज्यों को आवंटित विभाज्य पूल का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।

## बजट 2024: बिहार के राजमार्गों के लिये 26 हजार करोड़ रुपए

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में राजमार्ग विकास में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की।

### मुख्य बिंदु:

- **बिहार में राजमार्ग विकास:** सरकार का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना है, जिनमें शामिल हैं:
  - ◆ पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे
  - ◆ बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे
  - ◆ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला
  - ◆ बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन पुल
- **विद्युत परियोजनाएँ:** बजट में बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है।
- **कंपनियों पर प्रभाव:** विशेषज्ञों के अनुसार, इस निवेश से राजमार्ग निर्माण कंपनियों को मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सीमेंट की मांग बढ़ेगी, जिससे सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।

### बजट और संवैधानिक प्रावधान

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112** के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को **वार्षिक वित्तीय विवरण ( Annual Financial Statement- AFS )** कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष ( जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है ) में **सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण** है। इसके अलावा, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ◆ राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
  - ◆ राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
  - ◆ व्यय का अनुमान।
  - ◆ अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी घाटे अथवा अधिशेष के कारण।
  - ◆ आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति अर्थात् **कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, व्यय कार्यक्रम** तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।

## बिहार बाढ़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय बजट 2024** में **कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग** करने के लिये 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए- यह एक ऐसी नदी है जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित माना जाता है तथा जो अपने मार्ग को बदलने के लिये प्रवण है।

- **कोसी नदी को "बिहार का शोक ( Sorrow of Bihar )"** कहा जाता है, क्योंकि नेपाल से बहकर आने के बाद यह राज्य के उत्तरी भाग के एक बड़े क्षेत्र में व्यापक विनाश करती है।
- **मुख्य बिंदु**
- सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार है जब बिहार में बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है।
- **विशेष श्रेणी का दर्जा** न मिलने के बावजूद राज्य को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए, जिनमें चार एक्सप्रेसवे, **गंगा** पर दो लेन का पुल, एक विद्युत संयंत्र, हवाई अड्डे और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, बजट में **गंगा में औद्योगिक नोड, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुपक्षीय संस्थाओं से धन प्राप्ति** के लिये सहायता की घोषणा की गई।
- ◆ गंगा में **विष्णुपद और महाबोधि मंदिर** कॉरिडोर के साथ-साथ राजगीर तथा **नालंदा के विकास योजनाओं** पर भी प्रकाश डाला गया।

### कोसी नदी तंत्र



- कोसी एक सीमा-पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है।
- इसका स्रोत तिब्बत में है जिसमें विश्व की सबसे ऊँचाई पर स्थित भू-भाग शामिल है; इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है

- इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियाँ- सूर्य कोसी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किमी. की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं
- यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार ज़िले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बँट जाती है
- भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है
- इसे “बिहार का शोक” के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को प्रभावित करती है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

## बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिये विधेयक पारित हुआ

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा ( PE ) ( अनुचित साधनों की रोकथाम ) विधेयक, 2024 पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाना है।

### मुख्य बिंदु

- इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती होंगे।
- इसमें पेपर लीक, फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत जैसे अनुचित साधनों से जुड़े विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में तीन से पाँच वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- अगर कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी एजेंसी, गलत काम करता है, तो उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना और चार वर्ष के लिये उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएगी।

### लोक परीक्षा ( अनुचित साधनों की रोकथाम ) विधेयक, 2024

- यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या का समाधान करना था। यह 21 जून, 2024 को लागू हुआ।
- प्रमुख विशेषताएँ:
  - ◆ इसमें अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है, जैसे- पेपर लीक, फर्जी वेबसाइटों का उपयोग तथा सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत।
  - ◆ इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम 3-5 वर्ष का कारावास अवधि और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है।
  - ◆ इसमें परीक्षा संचालन के लिये नियुक्त सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
  - ◆ यह अधिनियम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है।
  - ◆ इसमें UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ शामिल होंगी।

## सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये लोक नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50%

से बढ़ाकर 65% करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

### मुख्य बिंदु

- पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिये कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। न्यायालय ने संशोधनों को संविधान के “अधिकारातीत” ( Ultra Vires ), “विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण” ( Bad in Law ) और “समता खंड का उल्लंघन” करार दिया।
- ◆ ये संशोधन एक जाति सर्वेक्षण के बाद किये गए थे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या का 63% था जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21% से अधिक था।
- आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने के बाद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण सहित राज्य में कुल 75% सीटें आरक्षित हुईं।

### आरक्षण

- आरक्षण, निश्चयात्मक विभेद का एक रूप है, जिसे हाशियाई वर्गों में समता को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक तथा दीर्घकालिक अन्याय से संरक्षण प्रदान करने के लिये निरूपित किया गया है।
- यह रोजगार और शिक्षा तक पहुँच में समाज के हाशियाई वर्गों को अधिमानी सुविधा प्रदान करता है।
- इसे मूल रूप से वर्षों जारी भेदभाव को समाप्त करने और वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।

## पुल ढहने की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से एक रिट याचिका पर प्रत्युत्तर मांगा है, जो राज्य में बार-बार पुल ढहने की घटनाओं को उजागर करता है।

### मुख्य बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बिहार में पुलों के उच्चस्तरीय संरचनात्मक ऑडिट के साथ-साथ प्राण रक्षा के लिये कमजोर निर्माणों (प्रमुखतः पुल) को इरादतन ध्वस्त करने अथवा उनकी मरम्मत करने के लिये दायर की गई याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया।
- याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिये एक नीति या प्रणाली स्थापित करे, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित तंत्र के समान हो।
- ◆ उक्त संदर्भित नीति का फोकस “सैंसर का उपयोग करके पुलों की वास्तविक समय पर स्थिति निगरानी की पहचान और कार्यान्वयन” पर होना चाहिये।

